न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद जि. - प्रतापगढ़

प्रकरण सं. - 07/08 दायरा तारीख - 20/5/08

पीठासीन अधिकारी - प्रकाश चन्द्र रेगर (RAS) उपखण्ड अधिकारी

श्रीमती देऊ बाई पिता नन्दा मीणा नि. आठनेरा व अन्य (अपीलार्थी)

बनाम

नानूराम पिता गौतमजी मीणा व अन्य नि. आठीनेरा (प्रत्यर्थीगण)

उपस्थित - 1. श्री दुर्गाशंकर जोशी - अधिवक्ता अपीलान्ट

2. " विमल कुमार मोदी - अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

: अपील इन्तकाल नं. 45 निरस्त किये जाने बाबत :

-x- निर्णय -x- दिनांक :-

संक्षेप में अपील मीमो के तथ्य यह है कि अपीलान्ट नं. 1 के पाते व 2 लगायत 5 के पिता ने ग्राम आठीनेरा प. ह. जाजली में स्थित आराजी सं. 39 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा, 108 रकबा 1 बीघा 2 बीस्वा, 110 रकबा ।।।)४ ; 117 रकबा ०।।)१, 279/108 रकबा ।।)३, 280/114 रकबा ।।।)१ एवं ।।)४ कुल किता 6 कुल रकबा 15 बीघा 5 बीस्वा के नाम दर्ज थी । लगभग 20-25 वर्ष पूर्व अकस्मात नन्दाजी का निधन हो गया । इस कारण अपीलान्ट नं. 1 ने रुपयों की आवश्यकता होने से रेस्पोडेन्ट के पिता के यहां 400/- में रहन रखी थी ।

अपीलान्ट नं. 1 के पाते व 2 लगा. 5 के पिता ने कभी कोई आराजी रेस्पो. नं. 1 व 2 के पिता व 3 के पाते गौतम को विक्रय नहीं

उपखण्ड अधिकारी अरनोद

अपीलार्थी न्यायालय के फैसले और रजिस्ट्री से पाबन्द नहीं है। पूरा खाता ही रेस्पोन्डेन्ट के नाम कैसे चला गया। लगभग 11 बीघा भूमि हमारी है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर चाही गयी दादरसी फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपने साथी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपील देरी से पेश की गयी। नन्दा का मृत्यु प्रमाण-पत्र भी पेश नहीं किया। अपील मीमों की चरण 1 में खाते का जो विवरण उसमें से हमने आ.नं. 110, 108, 279/108, 280/114 कुल किता 04 कुल रकबा 3.11 जरिये रजि० विक्रय-पत्र क्रय की और इन्तकाल भी इस आराजी का खोला गया जो कि ग्राम सभा में तस्दीक हुआ है। हम ही काबिज काश्त हैं। अपीलार्थी ने 400 रु में रहन की बात कर वाद-विदु बताया है जबकि क्रय विधि सम्मत की है। अपील लगभग 40 वर्षों बाद की गयी। इसी भूमि का वाद सहायक कलक्टर प्रतापगढ़ यहां से निर्णय 27-4-1970 को हुआ है। अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने नजीरें RRD-1976 Page-10 प्रस्तुत की। हमारा नामान्तरण विधि सम्मत है। अपील समयातीत होने से अस्वीकार कर खारिज की जावें।

हमनें पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष पर गौर किया। प्रस्तुत नजीरों का ससम्मान मार्गदर्शन प्राप्त किया।

पत्रावली से स्पष्ट है कि अपीलान्ट को जैसे ही जानकारी हुयी तत्काल ही नामान्तरण की अपील प्रस्तुत कर दी गयी अतः म्याद भीतर अपील स्वीकार न्यायहित में की जाती है। अपील मीमों के च० सं० 3 में विवादित आराजी को 400) में रहन होने का अभिकथन किया गया जिसका प्रत्युत्तर रेस्पोन्डेन्ट के अनुसार हमने आराजी नं. 108, 110, 279/108, 280/114 कुल किता 04 कुल

अपखण्ड अधिकारी (न्या०)
अरनोद।

इन्तकाल नं. 45 से जो आराजी रेस्पो. नं. 1 लगायत 3 के नाम पर आयी है वो रहन थी। पैसे नही होने से रहन तीन वर्ष और बढ़ाया गया तत्पश्चात् रेस्पो० 1 व 2 के पिता का निधन हो गया। अपीलान्ट ने जब अपनी आराजी रहन मुक्त करने के लिये रेस्पोडेन्ट से कहा तो उन्होने कहा कि जमीन हमारे नाम पर है और जमीन हमारी है इसकी जानकारी अपीलान्ट को 15.6.2007 को हुयी नकल हेतु प्रार्थना-पत्र 15.6.07 को पेश करने पर 09.7.2007 को इंतकाल की नकल प्राप्त हुयी तब अपील अन्दर म्याद पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नं. 45 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना बाबत धारा - 5 म्याद अधिनियम भी अलग से पेश है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विमलकुमार मोदी ने अपील का जवाब पेश किया परन्तु म्याद अधिनियम धारा-5 का ~~जवा~~ जवाब पेश न किया। अपील व प्रार्थना-पत्र धारा-5 म्याद अधिनियम पर बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ संलग्न धारा-5 म्याद अधि० के प्रार्थना-पत्र को अदा म्याद स्वीकार कर अपील पर अपील मीमो में अंकित तथ्यों का कथन करते हुये निवेदन किया कि नन्दा की आराजी 15 बीघा 5 बीस्वा में से लगभग 4 बीघा 400 ब० में रेस्पोडेन्ट के रहन रखी थी। गौतम के नाम दर्ज भूमि उसके फौत होने पर रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 के नाम दर्ज होगयी। लगातार- - -

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,

रकबा 3।।) जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 10-5-1966 को क्रय की जिसके प्रमाण में रजिस्ट्री की प्रति भी पेश की। जबकि अपीलान्ट ने रहन सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह साबित हो कि अपीलाधीन आराजी रहन रखी गयी थी।

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर प्रतापगढ़ के अनुसार भी (प्र.स. 102/61 दफा 183, 188 RTA नि.दि. 27-4-1970) वादी गौतम को आराजी नं. 108, 110, 279/108, 280/114 कुल किता 04 कुल रकबा 3½ बीघा का खातेदार स्वीकार किया जाने से उसके पक्ष में निर्णय हुआ। ग्राम पंचायत की नामान्तरण प्रति के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि बाद रजिस्ट्री नामान्तरण भी उक्त आराजी (रकबा 3।।) का ही तस्दीक हुआ है।

उक्त विवेचन के अनुसार स्पष्ट है कि अपीलान्ट के अपने पक्ष को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहे है जबकि प्रत्यर्थीगण ने समुचित दस्तावेज प्रस्तुत किये है। अतः असमुचित, अपूर्ण साक्ष्यों के अभाव में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत का नामान्तरण आराजी सं. 108, 110, 279/108, 280/114 कुल किता 04 कुल रकबा 3।।) यथावत् रखा जाता है। यदि विक्रय पत्र के बारे में अपीलान्ट को सन्देह हो तो सक्षम न्यायालय से नियमानुसार राहत प्राप्त की जा सकती है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 2/8/21

उपखण्ड अधिकारी
आसनोद

पीठासीन अधिकारी